अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुत ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पूर्ववर्ती निर्णयानुसार आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट किये जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट भूमि छोड़ने के उपरान्त ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

2. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 184 की रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री फौजाराम पुत्र श्री बींजाराम।
प्रकरण संख्या :– 30/2012

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 184 की रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि की समीपीय भूमि राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 185 की भूमि का ले–आऊट प्लान पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसी खसरे का बटा नम्बर 184/1 की भूमि का ले–आऊट प्लान अनुमोदन करने का भी निर्णय इसी बैठक में लिया जा रहा है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 184 की रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के प्रकरण में खातेदार द्वारा अपनी भूमि अन्य सामुदायिक सुविधा प्रयोजनार्थ आरक्षित मानते हुए प्राधिकरण कार्यालय में आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने पर अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रेषित किया गया है। परन्तु सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जोधपुर मास्टर प्लान के भू–उपयोग मानचित्र पर खसरा मानचित्र के सुपरइम्पोजिशन से उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर मास्टर प्लान के परिप्रेक्ष्य में आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित होने की सुनिश्चितता करने के उपरान्त पूर्ववर्ती निर्णयानुसार आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट किये जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट भूमि छोड़ने के उपरान्त ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्रीमती धापूदेवी
प्रकरण संख्या :– 07/2011

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270 की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2012 में विचार–विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को समीपीय भूमियो के स्वीकृत मानचित्रो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक उक्त भूमि का मौका निरीक्षण कर समीपीय भूमि के रास्तो की निरन्तरता की सुनिश्चितता करने के उपरान्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त है। समीपीय भूमियो के स्वीकृत मानचित्रो की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न कर दी गई हैं, जिसके अनुसार समीपीय भूमि के रास्तो की निरन्तरता सुनिश्चित होती है। उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर समीपीय भूमियो के अनुमोदित ले–आऊट प्लान से रास्तो की निरन्तरता के मददेनजर योजना मानचित्र में दर्शित पार्क के स्थान पर अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु स्थल आरक्षित करते हुए आवेदित भूमि का ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा

पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 824 की रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
प्रकरण संख्या :– 26/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 824 की रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसके पूर्वी दिशा से होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ 100′ चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमि राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 823 का ले–आऊट प्लान पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क को दर्शाया गया है। आवेदित भूमि का समीपीय भूमि के अनुमोदित ले–आऊट प्लान से 30′ चौड़ी सड़क एप्रोच हेतु उपलब्ध होती हैं। आवेदक ने अपने स्वामित्व की भूमि में से उक्त 30′ चौड़ी एप्रोच सड़क के सहारे–सहारे 10′ भूमि छोड़कर 40′ चौड़ी एप्रोच सड़क के रूप में प्रस्तावित किया है। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100′ चौड़ी सड़क एवं आवेदित भूमि के मध्य स्थित खसरा नम्बर 824/2 के खातेदार से 40′ चौड़ी सड़क हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क प्राधिकरण के हक में समर्पित करने हेतु समर्पणनामा प्रस्तुत किया है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर उसमें संशोधन किया गया है। उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर ले–आऊट प्लान के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित पार्क एवं सुविधाओ हेतु आरक्षित भूमि को आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में प्रस्तावित 40′ चौड़ी सड़क के सहारे–सहारे इसी अनुपात में स्थान्तरित करते हुए ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। सम्बन्धित उपायुक्त आवेदित भूमि के पहुँच मार्ग 40′ चौड़ी सड़क की सुनिश्चितता करे तथा इस हेतु खसरा नम्बर 824/2 के खातेदार से आवश्यक भूमि समर्पित करावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 125 :–

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 13.04.2012 में रखा जाकर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा

नम्बर 125 का भौतिक सर्वे करवाकर ले–आऊट प्लान तैयार किया जा चुका हैं, अतः उक्त ले–आऊट प्लान का जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान समिति स्तर पर तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृत कर तदानुसार पट्टा विलेख जारी किये जावे।

तत्पश्चात् जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 27.04.2012 में सर्वसम्मति से विवादित भूखण्डो को छोड़ते हुए उक्त खसरे का मानचित्र स्वीकृत कर उक्त निर्णय की पुष्टि आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति में करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की अभिशंषानुसार विवादित भूखण्डो को छोड़ते हुए शेष भूमि के पट्टा विलेख जारी किये जावे। विवादित भूखण्डो के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डो का मौका निरीक्षण उपायुक्त (पश्चिम), उप नगर नियोजक, तहसीलदार व अमीन द्वारा पुनः किया जावे एवं विद्यालय हेतु आरक्षित भूखण्ड के सामने स्थित सड़क के एलाईन्मेन्ट का निर्धारण प्रार्थीगणो के स्वामित्व के दस्तावेज एवं मौके की भौतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किया जाकर सड़क की चौड़ाई स्वीकृत योजनानुसार की सुनिश्चितता करते हुए उक्त भूखण्डो के पट्टा विलेख भी जारी किये जावे। विद्यालय हेतु आरक्षित भूखण्डो के सामने स्थित सड़क का एलाईन्मेन्ट निर्धारित करते समय यदि विद्यालय के सामने स्थित भूखण्डो का आकार कम होता हैं, तो तदानुसार ले–आऊट प्लान में संशोधन कर पट्टा विलेख जारी किये जावे।

6. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 66, 66/1 व 66/2 :–

ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 31.05.2002 में राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 66/1 का ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया गया था। उक्त ले–आऊट प्लान में नियमन योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण उक्त प्रकरण कार्यालय पत्रांक एफ–37/डीटीपी/जेडीए/10/765, दिनांक 05.02.2010 को उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को नियमन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 23.02.2010 में उक्त खसरान का ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया गया।

तत्पश्चात् जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 09.08.2010 में राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 66, 66/2 के ले–आऊट प्लान में 70 प्रतिशत से अधिक बिकी योग्य क्षेत्रफल होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (3)नविवि/03/2010, दिनांक 24.01.2011 द्वारा राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 66, 66/2 के ले–आऊट प्लान में 72.7 प्रतिशत से अधिक बिकी योग्य क्षेत्रफल में शिथिलता प्रदान करते हुए नियमन की स्वीकृति प्रदत्त की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02.02.2011 में राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 66, 66/2 का ले–आऊट प्लान मौका स्थिति अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

मौका स्थिति अनुसार ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने पर कुछ क्षेत्रवासियो द्वारा उक्त कॉलोनी में सड़को की चौड़ाई न्यूनतम 30' रखे जाने का निवेदन करते हुए उक्त खसरे के योजना

मानचित्र में सड़को की चौड़ाई 20' किये जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, जबकि अन्य निवासियो द्वारा अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मौके की स्थिति के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत करते हुए पट्टा विलेख जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त आराजियात की भूमि के ले–आऊट प्लान की मुख्यतः दो सड़को की चौड़ाई अपर्याप्त है, अतः उपायुक्त उक्त सड़को पर स्थित भूखण्डो के स्वामित्व के दस्तावेज व मौका स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जाँच कर सड़को के मार्गाधिकार बाबत् ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति के प्रस्ताव के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। जब तक उक्त सड़को का मार्गाधिकार निर्धारित नही हो जाता हैं, तब तक इन सड़को पर स्थित भूखण्डो को छोड़कर उक्त आराजियात की शेष भूमि के भूखण्डो का पट्टा विलेख अनुमोदित ले–आऊट प्लान के अनुसार जारी किये जावे।

7- राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 114 व 115 :–

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.03.2012 के प्रस्ताव संख्या 40 में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 27.04.2012 को आयोजित जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उक्त खसरान् के भौतिक सर्वे के आधार पर तैयार मानचित्र को स्वीकृत कर उक्त निर्णय की पुष्टि आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति में करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 27.04.2012 की अभिशंषा पर राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 114 व 115 एवं अन्य लगते हुए खसरा नम्बरान् (शंकरनगर) के ले–आऊट प्लान के अनुमोदन की पुष्टि हेतु पत्रावली समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 86, 97, 113, 114 व 115 के पूर्व में अनुमोदित समस्त ले–आऊट प्लान को निरस्त करते हुए जोन लेवल ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के भौतिक स्थिति अनुसार तैयार ले–आऊट प्लान को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें ले–आऊट प्लान के दक्षिणी–पूर्वी भाग में स्थित "अ, ब, स, द" भूमि की 90–बी की कार्यवाही सम्पादित नही होने के कारण उक्त भूमि को पृथक से कृषि भूमि के रूप में रखी जावेगी। उक्त आराजियात की शेष भूमि के पट्टा विलेख जोन लेवल ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के भौतिक स्थिति अनुसार तैयार एवं अनुमोदित ले–आऊट प्लान के अनुसार जारी किये जावे।

8. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 73, 174/73 व 299/73 :–

उक्त आराजियात की भूमि का ले–आऊट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा दिनांक 10.12.1990 को अनुमोदित किया गया।

पत्रावली के पैरा संख्या 35 में उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया हैं कि किसी भी खसरे की 90–बी होने एवं ले–आऊट प्लान अनुमोदित होने के पश्चात् सुविधा क्षेत्र एवं सड़को हेतु आरक्षित भूमि स्थानीय निकाय में निहित हो जाती है। पत्रावली के पैरा संख्या 36 में उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया

गया है कि जोन स्तरीय समिति को पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान में संशोधन का अधिकार नही है। उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो का हवाला देते हुए सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के नियमन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि चूंकि उक्त आराजियात की भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अनुमोदित किया गया हैं एवं तदानुसार पट्टा विलेख भी जारी किये गये है, अतः पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही पट्टा विलेख जारी किये जावे

9. राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 :–

राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 की 42 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ले–आऊट प्लान दिनांक 10.10.1985 को वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें चौपासनी सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया था। चूकिं उक्त आराजियात की कृषि भूमि को वर्ष 1973 में ही उपविभाजित कर भूखण्डो का बेचान कर दिया गया था, अतः वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 1 से 42 को सड़क सीमा में मानते हुए उक्त भूखण्डो को निरस्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1381/92 में दिनांक 13.08.1993 को निर्णय पारित किया गया।

कार्यालय पत्रांक एफ–37/निदेशक अभियान्त्रिकी/जेडीए/2011/1248, दिनांक 04.03.2011 द्वारा राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 के स्वीकृत योजना में पार्क, स्कूल व सड़क आदि के लिये आरक्षित भूमि में स्थित भूखण्डो के नियमन हेतु राय चाही जाने पर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रकरण में निम्न तकनीकी राय प्रदत्त की है :–

1. चौपासनी सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 160 से 200 फीट प्रस्तावित होने, इस क्षेत्र के पूर्व में अनुमोदित अन्य ले–आऊट प्लान में 160 फीट रखे जाने तथा इस क्षेत्र में स्थित आवासन मण्डल की योजना आदि को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत योजना में चौपासनी सड़क की चौड़ाई 200 फीट के स्थान पर 160 फीट निर्धारित की जा सकती है।

2. योजना में 75 प्रतिशत से अधिक भूखण्डो पर निर्माण हो चुका हैं, अतः दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की विकसित योजनाओ के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार एवं वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार नियमन करने के लिए ले–आऊट प्लान संशोधित किया जा सकता है।

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.1993 के अनुसार सड़क, ओपन स्पेस, पार्क आदि की भूमि पर अतिक्रमण नही होने देने तथा स्वीकृत प्लान को लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः ले–आऊट प्लान में उपरोक्त संशोधन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही किये जा सकते है।

गया है कि जोन स्तरीय समिति को पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान में संशोधन का अधिकार नही है। उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो का हवाला देते हुए सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के नियमन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि चूंकि उक्त आराजियात की भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अनुमोदित किया गया हैं एवं तदानुसार पट्टा विलेख भी जारी किये गये है, अतः पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही पट्टा विलेख जारी किये जावे

9. राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 :–

राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 की 42 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ले–आऊट प्लान दिनांक 10.10.1985 को वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें चौपासनी सड़क का मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया था। चूकिं उक्त आराजियात की कृषि भूमि को वर्ष 1973 में ही उपविभाजित कर भूखण्डो का बेचान कर दिया गया था, अतः वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 1 से 42 को सड़क सीमा में मानते हुए उक्त भूखण्डो को निरस्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1381/92 में दिनांक 13.08.1993 को निर्णय पारित किया गया।

कार्यालय पत्रांक एफ–37/निदेशक अभियान्त्रिकी/जेडीए/2011/1248, दिनांक 04.03.2011 द्वारा राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 के स्वीकृत योजना में पार्क, स्कूल व सड़क आदि के लिये आरक्षित भूमि में स्थित भूखण्डो के नियमन हेतु राय चाही जाने पर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रकरण में निम्न तकनीकी राय प्रदत्त की है :–

1. चौपासनी सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 160 से 200 फीट प्रस्तावित होने, इस क्षेत्र के पूर्व में अनुमोदित अन्य ले–आऊट प्लान में 160 फीट रखे जाने तथा इस क्षेत्र में स्थित आवासन मण्डल की योजना आदि को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत योजना में चौपासनी सड़क की चौड़ाई 200 फीट के स्थान पर 160 फीट निर्धारित की जा सकती है।

2. योजना में 75 प्रतिशत से अधिक भूखण्डो पर निर्माण हो चुका है, अतः दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की विकसित योजनाओ के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार एवं वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार नियमन करने के लिए ले–आऊट प्लान संशोधित किया जा सकता है।

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.1993 के अनुसार सड़क, ओपन स्पेस, पार्क आदि की भूमि पर अतिक्रमण नही होने देने तथा स्वीकृत प्लान को लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः ले–आऊट प्लान में उपरोक्त संशोधन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही किये जा सकते है।

साथ ही प्रकरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आर.एल. जागिंड़ से विधिक राय प्राप्त करने के उपरान्त मुख्य नगर नियोजक की राय को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रकरण को ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशो को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अनुमोदित ले–आऊट प्लान के अनुसार ही आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

10. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री मदनलाल वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 94/11

राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2012 में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं पहुँच मार्ग की स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उपायुक्त (उत्तर) द्वारा पत्रावली पुनः ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ रखने हेतु प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 का कुल रकबा 43.11 बीघा हैं एवं आवेदक द्वारा उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया हैं, अतः ट्रेस खसरा मानिचत्र पर आवेदित भूमि को चिहिन्त (तरमीम) कर प्रस्तुत करे। उपायुक्त को उक्त सूचनाओ की पूर्ति करवाकर प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगमी बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम आगंणवा के खसरा नम्बर 182/2 की रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री कालूराम पुत्र श्री चुन्नीध्लाल।
प्रकरण संख्या :– 388/10

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आगंणवा के खसरा नम्बर 182/2 की रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो का ले–आऊट प्लान पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का

प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर आवेदित भूमि के योजना मानचित्र के उत्तर–पश्चिमी भाग में प्रस्तावित पार्क हेतु आरक्षित भूमि के स्थान पर दक्षिण–पूर्वी भाग में स्थित 60' चौड़ी सड़क के सहारे–सहारे अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु भूमि आरक्षित करते हुए ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजना (HUDCO SCHEME) के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में रिजर्व (RESERVE) के रूप में आरक्षित भूखण्डो को उपविभाजित कर मानसागर के सौन्दर्यकरण के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियो के पुर्नवास हेतु पार्ट योजना मानचित्र का अनुमोदन।

अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशो के कम में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजना (HUDCO SCHEME) के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में रिजर्व (RESERVE) के रूप में आरक्षित भूखण्डो को उपविभाजित कर मानसागर के सौन्दर्यकरण के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियो के पुर्नवास हेतु पार्ट योजना मानचित्र तैयार किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से उक्त ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा यह भीं निर्णय लिया गया कि उक्त अनुमोदित पार्ट ले–आऊट प्लान में अकिंत भूखण्ड संख्या 1 से 34 का आवंटन प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओ के विकास के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियो के पुर्नवास हेतु किया जावेगा। उक्त अनुमोदित पार्ट ले–आऊट प्लान में कार्नर के भूखण्डो का बेचान नीलामी के माध्यम से किया जावेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।